राँची समाहरणालय,राँची

(बाल संरक्षण शाखा)

आवश्यक सूचना

समेकित बाल संरक्षण सेवाएँ योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अन्तर्गत जिले में किशो न्याय (बालकों का देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्रावधानों का प्रभावी रूप से क्रियान्यवन किया जा रहा है समेकित बाल संरक्षण सेवाएँ योजना के अन्तर्गत जिला स्तर पर संविदा के आधार पर कार्य करने हेतु इच्छुक ए अर्हताधारी व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है:–

Sl.NO	Name of post	No of post	Age	Emolument	Education Qualification	Work Experience
1	Protection officer Institutional care	01(UR)	30-45	21,000	Post Graduation Social Sciences (Sociology/Psychology /Social work)	Minimum 3 Years in child welfare/Child protection
2	counselor	01(UR)	30-45	14,000	Post Graduation Social Sciences (Sociology/Psychology /Social work)	Minimum 2 Years in child Development and counseling
3	Data Analyst	01(UR)	30-45	14,000	Graduation in Social work/Sociology/Anthr opology	Minimum 2 Years in Related Work
4	Assistant cum Data Entry operator	01(UR)	21-35	10,000	Graduation in any stream. Typing speed Hindi 30 W.P.M English-35 W.P.M	Minimum 3 Years in computer/office Works.
	TOTAL-04 POST					

महिला,बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग,झारखण्ड के अधिसूचना संख्या 05/म0बा0/ICPS–नियु0 नियमा0–575–1835/दिनांक 20/07/2016 के आलोक में जिला स्तरीय संविदा आधारित पदों पर नियुक्ति हेतु नियम एवं शर्ते निम्नलिखित है:–

1. कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 14/स्थानीयता नीति–14 04/2018 आ0 8468/राँची, दिनांक 20/11/18 के आलोक में प्रकाशित नियुक्ति विज्ञापन में राँची जिला के स्थानीय निवासी ही पात्र होगें।
2. उल्लेखित सभी पदों पर नियुक्तियाँ पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी। ऐसे नियुक्त व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार/विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा।

2/4/20

3. प्रारंभिक चरण में ऐसी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जाएगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष पर नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यो की समीक्षा की जाएगी। तत्पश्चात कार्य संतोषप्रद पाए जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।

4. आवेदक किसी भी स्थिति में पदों के लिए दावा पेश नहीं कर सकते है।
5. संविदा के आधार पर नियुक्ति के नियम में वर्णित प्रावधान के अनुरूप नवीकरण नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
6. आवेदन तथा आवश्यक निर्धारित मापदंडों को पूरा नही करने वाले आवेदकों का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
7. आवश्यकता अनुसार पद बढ़ाए अथवा घटाए जा सकते है।
8. आवेदकों द्वारा आवेदित पदों से संबंधित शैक्षणिक योगयता,अतिरिक्त योगयता एवं अनुभव प्रमाण पत्रों के सत्यापन के उपरांत उनके संबंध में चयन समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
9. उम्र सीमा की गणना **01.08.2020** के अनुसार की जाएगी ।

आवेदन की प्रक्रियाः–

1. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक **31.12.2020** होगी। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. आवेदको के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर से स्वीकार किया जाएगा।
3. यदि कोई आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते है तो उसके लिए अलग–अलग पदों से संबंधित आवेदन करना अनिवार्य होगा।
4. आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक योग्यता,कार्यानुभव,जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

आवेदन करने का पताः– **कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई, राँची समाहरणालय भवन, ब्लाक (B) कमरा संख्या –111 राँची है।**

नोटः– आवेदन हेतु प्रपत्र एवं विज्ञापन की विस्तृत जानकारी www.Ranchi.nic.in पर देखी जा सकती है।

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी
राँची।

उपविकास आयुक्त
राँची।

उपायुक्त
राँची।